



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48601

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3270 वर्ष 2026

अवध कुमार सिंह एवं 3 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता

: नरेन्द्र श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का निवेदन किया गया, जिसमें याचीगण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई थीं—(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचीगण के दावे पर विचार कर निर्णय लें, जिसमें वर्ष 2022 में निर्गत अंतिम वरिष्ठता सूची में, जनपद सोनभद्र के मौसमी कलेक्शन चपरासी के संबंध में, याचीगण के नाम सम्मिलित किए जाने तथा उन्हें उनके कनिष्ठों के नियमितीकरण की तिथि से, विद्यमान रिक्त पदों के विरुद्ध, 50 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश कलेक्शन चपरासी सेवा नियमावली, 2004 (समय-समय पर संशोधित) तथा प्रासंगिक शासनादेशों एवं निर्देशों के अनुसार, नियमित कलेक्शन चपरासी के रूप में नियुक्त/नियमित किए जाने का निर्देश प्रदान किया जाए, साथ ही याचीगण को आयु में शिथिलता प्रदान की जाए तथा तब तक उन्हें मौसमी कलेक्शन चपरासी के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हुए देय वेतन-भत्तों का मासिक भुगतान सुनिश्चित किया जाए; (ii) प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश पारित किया जाए; तथा (iii) अंतर्निहित तकनीकी त्रुटि के कारण नवीन याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याचिका की लागत याचीगण के पक्ष में प्रदान की जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

3. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली हुई मानते हुए निरस्त की जाती है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।